

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 14/2002/223 आर टी ए

1. प्रेमवती पत्नि रूपशंकर (फौत)।
- 1/1 राजेशकुमार दत्तक पुत्र स्व. श्रीमति प्रेमवती पत्नि स्व. रूपशंकर पाण्डे जाति ब्राह्मण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
- 1/2 शिशिरकान्त पुत्र केशवदत्त अनन्त जाति ब्राह्मण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
- 1/3 कंचनदेवी पत्नि प्रेमकान्त जाति शर्मा पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवास जेलवेल टंकी के पास बीकानेर।
- 1/4 सज्जन पाण्डे पत्नि टिकननाथ पाण्डे पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवासी पाण्डे जी की गली कलश मार्ग जगदीश चौक उदयपुर।

—अपीलांत

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र गोरधन (फौत)।
- 1/1 बलविन्द्र कौर पत्नि प्यारासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 5 आरके तहसील टिब्बी।
2. केसरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. चरनसिंह पुत्र केसरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रसिंह पुत्र केसरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मंगतसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति मजबीसिख ढाणी ग्राम सुरेवाला के पास तहसील टिब्बी।
6. मिठूसिंह पुत्र अज्ञात जाति मजबीसिख ढाणी ग्राम सुरेवाला के पास तहसील टिब्बी।
7. गुरदीपसिंह उपनाम अमली पुत्र टहलसिंह निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास ग्राम तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी।
8. अजायबसिंह पुत्र गंगासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—तरतीबी रेस्पों

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया
प्रकरण संख्या 282/86 अनवानी रामचन्द्र बनाम प्रेमवती आदि

उपस्थित :-

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांत सं. 1/1, 1/3 व 1/4

श्री छगनलाल सिझाना अधिवक्ता अपीलांत सं. 1/2

श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पों सं. 1/1

निर्णय

दिनांक:-09.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पों सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का पेश कर चक 3 एसआरडब्ल्यू के प.न. 224/277 की 6.08 बीघा भूमि को अपनी खातेदारी होना का कथन कर अपीलांत को अतिक्रमी बताते हुए अपीलांत

के विरुद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा गया जिसमें अपीलांट ने उपस्थित आकर वादपत्र का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित विवाधको में से विवाधक सं. 1 ता 4, 7, 8, 11, 12, 13 व 14 का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध करते हुए रेस्पो0 का वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट सं. 1/1 व 1/2 ने अपनी बहस में संयुक्त रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई खिलाफ कानून है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक सं. 1 का निर्णय बहक रेस्पो0 सं. 1 करने में अहम भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 ने प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 की होना व गोरधनलाल एवं रूपशंकर के मध्य घरूबंटवारा होना स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि जो स्व. गोरधनलाल द्वारा तमलीकनामा के जरिये खसरा नं. 14/1 के 11 बीघा 13 बिस्वा के रूप में रेस्पो0 में स्वयं को तमलीक होना ब्यान किया है, के संबंध में पुष्ट साक्ष्य वादी की ओर से पेश होनी चाहिए थी। वादी रेस्पो0 सं. 1 ने मुरब्बा बन्दी के उपनिवेशन विभाग के संबंधित अभिलेख को प्रस्तुत कर विवाधक सं. 1 को प्राथमिक रूप से सिद्ध नहीं किया है। रेस्पो0 सं. 1 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 मिन की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि हो। विवाधक सं. 2 का निर्णय बहक रेस्पो0 सं. 1 करने में अधीनस्थ न्यायालय ने तात्विक गलती की है यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पो0 ने सन् 1977 से ही भू-प्रबन्ध विभाग से साज कर अपने नाम प्रविष्टि करवाई थी जो आदेश अपील में निरस्त हुआ। इस दौरान वादी द्वारा सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग से हासिल किये गये दस्तावेज सत्यता के नजदीक नहीं थे व विशेषकर प्रदर्श ए 7 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के पक्ष में तस्दीक इंतकाल व खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 को नजरअदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपराधिक न्यायालय के निष्कर्ष को अधिमान देते हुए यह विवाधक रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष में करके कानूनी गलती की है। विवाधक सं. 14 का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय ने वाकैयाती गलती की है। यह निर्विवाद तथ्य है कि खसरा नं. 14 की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही हुई थी। अवाप्ति अधिकारी ने रेस्पो0 सं. 1 के हिस्सा व कब्जा की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही कर मुआवजा रेस्पो0 सं. 1

के लिए निर्धारित किया था। रेस्पो0 सं0 1 ने इस तथ्य के विपरीत कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। सैटलमेंट विभाग को एन्ट्री परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट प्रेमवती का कब्जा था तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। जबकि रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा पुराना कब्जा का आधार लिया गया है परन्तु अपीलांट का कब्जा अरसा दराज से चला आ रहा है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 1992 पेज 79, आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1991 पेज 1, आरआरडी 1997 पेज 493, आरबीजे (4) 1997 पेज 257, आरआरडी 1997 पेज 399, आरबीजे 1996 (3) पेज 494, सीसीसी 2012 (3) पेज 850, आरआरडी 1989 पेज 224 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे व वादपत्र रेस्पो0 सं. 1 खारिज करते हुए अपीलांट का काउंटर क्लेम डिक्री किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पो0 सं. 1 की खातेदारी आराजी थी जिस पर सुरजनसिंह को कृषि कार्य हेतु दी हुई थी लेकिन 1980 में अपीलांट ने अन्य से मिलकर सुरजनसिंह को हटाकर बलपूर्वक उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया था। अपीलांट व अन्य का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। अपीलांट बतौर अतिक्रमी काबिज है। इसलिये रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादी सं. 1/अपीलांट को बेदखल कर कब्जा वादी/रेस्पो0 सं. 1 को दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र की खातेदारी में थी। नकल जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 में प्रदर्श-6, प्रदर्श-7 में भी वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज है। पर्चा लगान प्रदर्श 1 में भी वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2037 प्रदर्श 8, सम्वत 2044 प्रदर्श 9, सम्वत 2048 प्रदर्श 10 में भी वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के नाम है। इन्हीं दस्तावेजात के आधार पर वादी रामचन्द्र को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही है। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय में जमाबंदी व अन्य भू-अभिलेखों में जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत भी थी तथा कब्जे के भौतिक सत्यापन के आधार पर भी था। भूप्रबन्ध आयुक्त ने निर्णय विधि अनुसार

एवं विधिसम्मत रूप से दिया है। भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.09.78 के विरुद्ध अपीलांट प्रेमवती ने माननीय राजस्व मण्डल में अथवा उच्च न्यायालय में कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की एवं मौन साधन दीर्घकाल तक रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर सन् 1980 तक रेस्पो0 सं. 1 का कब्जा होना माना है। परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि मात्र कृषि कार्य हेतु ही दी गई। वादग्रस्त भूमि के कब्जा के बिना ही रेस्पो0 सं. 1/1 बलविन्द्र कौर के पक्ष में बैयनामा करवाया गया तथा बैयनामे के आधार पर नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है और रामचन्द्र के समस्त अधिकार वादग्रस्त भूमि में बलजीत कौर को हस्तान्तरित हो चुके हैं। प्रेमवती द्वारा भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर के समक्ष दिये गये ब्यान में प्रेमवती का वादग्रस्त आराजी में जो रामचन्द्र का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, को सही माना है जो प्रदर्श 3 है तथा इसी आधार पर भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा अपील का निर्णय किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र के नाम मुताबिक रिकार्ड बंदोबस्त सही माना है जो प्रदर्श 4 है, इस तरह से प्रेमवती द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये ब्यानों से इन्कारि नहीं की जा सकती तथा प्रेमवती के विरुद्ध विबंध का सिद्धांत लागू होता है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के खण्डन में कथन किया कि आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 1993 पेज 44 उक्त न्यायिक दृष्टांत में सैटलमेंट डिपार्टमेंट को एन्ट्री परिवर्तन करने का अधिकार न होने बाबत आदेश पारित किया गया जबकि मौजूदा प्रकरण में सैटलमेंट विभाग द्वारा कोई एन्ट्री बदली नहीं गई है और ना ही कोई रिकार्ड प्रेमवती द्वारा पेश किया गया है। आरआरडी 1991 पेज 1, आरआरडी 1997 पेज 493 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं, जबकि मौजूदा प्रकरण में प्रेमवती द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई कांउटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण से न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते हैं। आरआरडी 1997 पेज 399 में बिस्वेदारी के तहत हको के निर्धारण बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किया है जबकि मौजूदा प्रकरण बिस्वेदारी का नहीं है। आरबीजे 1996 (3) पेज 493 उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वादी, प्रतिवादी की कमी का फायदा नहीं ले सकता, उसे अपना वाद स्वयं साबित करना पड़ेगा जबकि वादी द्वारा अपना वाद अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष पूर्णतः साबित किया है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1979 पेज 1, एआईआर 1956 पेज 114, एआईआर 1990 पेज 128, कर्नाटका आरआरडी 1985 पेज 146, डीएनजे 2010 सुप्रीम कोर्ट 202, आरआरडी 1992 पेज 540 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का पेश कर चक 3 एसआरडब्ल्यू के प.न. 224/277 की 6.08 बीघा भूमि को अपनी खातेदारी होना का कथन कर अपीलांत के विरुद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का वाद डिक्री किया गया जिसके विरुद्ध अपीलांत ने यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 की होना व गोरधनलाल एवं रूपशंकर के मध्य घरूबंटवारा होना स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि जो स्व. गोरधनलाल द्वारा तमलीकनामा के जरिये खसरा नं. 14/1 के 11 बीघा 13 बिस्वा के रूप में रेस्पो0 में स्वयं को तमलीक होना ब्यान किया है, के संबंध में पुष्ट साक्ष्य वादी की ओर से पेश होनी चाहिए थी। वादी रेस्पो0 सं. 1 ने मुरब्बा बन्दी के उपनिवेशन विभाग के संबंधित अभिलेख को प्रस्तुत कर विवाधक सं. 1 को प्राथमिक रूप से सिद्ध नहीं किया है। रेस्पो0 सं. 1 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 मिन की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि हो। विवाधक सं. 2 का निर्णय बहक रेस्पो0 सं. 1 करने में अधीनस्थ न्यायालय ने तात्त्विक गलती की है यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पो0 ने सन् 1977 से ही भू-प्रबन्ध विभाग से साज कर अपने नाम प्रविष्टि करवाई थी जो आदेश अपील में निरस्त हुआ। इस दौरान वादी द्वारा सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग से हासिल किये गये दस्तावेज सत्यता के नजदीक नहीं थे व विशेषकर प्रदर्श ए 7 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांत के पक्ष में तस्दीक इंतकाल व खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 को नजरअदाज किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं रेस्पो0 के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी

रामचन्द्र की खातेदारी भूमि थी। नकल जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 मे प्रदर्श-6, प्रदर्श-7 मे भी वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज है। रेस्पो0 रामचन्द्र राजकीय सेवा मे कार्यरत होने के कारण उक्त भूमि मे कृषि कार्य करने एवं करवाने हेतु लक्ष्मीनारायण को अधिकृत किया हुआ था तथा लक्ष्मीनारायण ने सुरजनसिंह पुत्र भगतसिंह को उक्त भूमि 4 वर्ष के लिए कृषि करने हेतु दी हुई थी। सन् 1980 तक उक्त भूमि पर रामचन्द्र की ओर से सुरजनसिंह काशत करता था तथा उपरोक्त समय तक रामचन्द्र के धारण मे थी और रामचन्द्र उक्त भूमि निरन्तर 1959 से पूर्व से ही धारण मे रही है। उक्त पर्चा लगान प्रदर्श 1 मे भी वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2037 प्रदर्श 8, सम्वत 2044 प्रदर्श 9, सम्वत 2048 प्रदर्श 10 मे भी वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के नाम है।

6. जहां तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का तर्क है, तो अपीलांट प्रेमवती ने वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. रामचन्द्र व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रेमवती को जबरदस्ती बाहर निकालने व मारपीट का इस्तगासा था उक्त इस्तगासे मे पारित निर्णय दिनांक 19.02.86 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह माना है कि "तथाकथित घटना के वक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मुल्जिम रामचन्द्र का था तथा मुस्तगिस को उक्त जमीन पर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था।" इस प्रकार यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 रामचन्द्र कब्जा चला आ रहा है। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय मे जमाबंदी व अन्य भू-अभिलेखो मे जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत भी थी तथा कब्जे के भौतिक सत्यापन के आधार पर भी था। भूप्रबन्ध आयुक्त ने निर्णय विधि अनुसार एवं विधिसम्मत रूप से दिया है। प्रेमवती की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि का बैचान रेस्पो0 बलविन्द्रकौर को किया गया। जिसके संबंध मे अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि जब प्रेमवती के कब्जा मे थी और उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान के कब्जा मे आ गई। उक्त तर्क के संबंध मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1979 पेज 1, एआईआर 1956 पेज 114, एआईआर 1990 पेज 128, आरआरडी 1985 पेज 146 प्रस्तुत किये है जिसके अनुसार बैयनामा बिना कब्जे के भी किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि आराजी पर प्रेमवती का कब्जा काशत था तथा प्रेमवती सन् 2002 मे फौत हो चुकी है जिससे प्रेमवती का कब्जा नहीं रहा है तथा कब्जा वारिसान को हस्तान्तरित नहीं हो सकता। बैयनामे के आधार पर नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है बैयनामा से पूर्व जो

अधिकार वादग्रस्त भूमि पर रामचन्द्र को प्राप्त थे वह अधिकार रेस्पो0 बलजीत कौर को प्राप्त हो चुके हैं। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय में जमाबंदी व अन्य भू-अभिलेखों में जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत भी थी तथा कब्जे के भौतिक सत्यापन के आधार पर भी था। भूप्रबन्ध आयुक्त ने निर्णय विधि अनुसार एवं विधिसम्मत रूप से दिया है। भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.09.78 के विरुद्ध अपीलांत प्रेमवती ने माननीय राजस्व मण्डल में अथवा उच्च न्यायालय में कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की। न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के समक्ष हुए बयान गवाह में प्रेमवती ने यह माना है कि " रामचन्द्र के वकील के ने जो जमाबंदी सम्वत 2019 ता 2022 व 2023 से 2026 की प्रतिलिपि पेश की है वह सही है और उनमें जो कॉलम नम्बर 5 में लिखा है कि रामचन्द्र पुत्र गोरधन रकबा 11.13 व रूपशंकर पुत्र हीरालाल रकबा 2.13 बीघा रकबा है वह भी ठीक है। डीएनजे 2010, पेज 202, आरआरडी 1992 पेज 540 के अनुसार प्रेमवती द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों से इन्कारी नहीं की जा सकती है तथा प्रेमवती के विरुद्ध विवंधन का सिद्धांत लागू होता है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं।

7. अधिवक्ता अपीलांत का बहस के दौरान मुख्यतया तर्क यह है कि रेस्पो0/वादी रामचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान भूमि का बैचान कब्जा नहीं होने के बावजूद भी पंजीकृत विक्रय पत्र से किया है, इस विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 सं. 1/1 बलविन्द्र कौर को उक्त अपील में चाराजोई करने की अधिकारिता नहीं है जबकि अपील में अपीलांत सं. 1/1 व 1/2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपटित आदेश 41 नियम 20 सीपीसी दिनांक 24.04.09 को अन्तरिती/क्रेता बलविन्द्र कौर को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.04.09 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए क्रेता बलविन्द्र कौर को बतौर रेस्पो0 सं. 1अ के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है इस आदेश का अपीलांत द्वारा अब विरोध किया जाना विधिपूर्ण नहीं होने के कारण अपीलांत का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांत के अभिभाषकगण द्वारा अपील के पक्ष में दूसरा मुख्य तर्क यह जाहिर किया है कि रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन रहने के दौरान बिना कब्जा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण किया गया है

जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक रूप से प्रभावहीन है। जबकि न्यायिक दृष्टांत सिविल कोर्ट केसेज 2012(3) पेज 850 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का वाद के विचाराधीन रहने के दौरान किये गये हस्तान्तरण शून्य नहीं होता है बल्कि वाद के निस्तारण के फलस्वरूप विक्रेता को प्राप्त स्वामित्व/अधिकारों के अधीन होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता रामचन्द्र के पक्ष में 6.08 बीघा भूमि के संबंध में प्रतिवादी/अपीलांत प्रेमश्वरी देवी को बेदखल कर कब्जा वादी/रेसपो0 रामचन्द्र को देने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये गये हैं। इसलिये उक्त निर्णय के अनुसार हस्तान्तरण से क्रेता को भी विक्रेता के समतुल्य अधिकार प्राप्त हैं। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 1993 पेज 44 के अनुसार सैटलमेंट डिपार्टमेंट को राजस्व अभिलेख में स्वामित्व अधिकार संबंधी प्रविष्टि/इन्द्राज को परिवर्तन करने का अधिकार न होने बाबत आदेश पारित किया गया जबकि मौजूदा प्रकरण में सैटलमेंट विभाग के सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी पर्चा लगान में रेसपो0 रामचन्द्र के नाम के इन्द्राज की पुष्टि भूप्रबन्ध आयुक्त के न्यायालय द्वारा भी की जा चुकी है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेसपो0 रामचन्द्र द्वारा 06.08 बीघा भूमि के संबंध में प्रतिवादी/अपीलांत प्रेमवती के विरुद्ध बेदखली की इस्तदुआ चाही चाही गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सम्वत 2023 ता 2026, पर्चा लगान, जमाबंदी सम्वत 2037, 2044, 2048 एवं उसके पश्चात के राजस्व अभिलेख के प्रविष्टियों एवं घघघर फलड में अवाप्त भूमि संबंधी तथ्यों एवं मौके की स्थिति के अनुसार वाद का निर्णय वाद में विरचित तनकी सं. 1 के निष्कर्ष के अनुसार पक्ष में किया गया है। आरआरडी 1991 पेज 1, आरआरडी 1997 पेज 493 में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं, जबकि मौजूदा प्रकरण में प्रेमवती द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई कांउटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया। आरआरडी 1997 पेज 399 में बिस्वेदारी के तहत हको के निर्धारण बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किया है जबकि मौजूदा प्रकरण बिस्वेदारी का नहीं है। आरबीजे 1996 (3) पेज 493 उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वादी, प्रतिवादी की कमी का फायदा नहीं ले सकता, उसे अपना वाद स्वयं साबित

करना पडेगा जबकि वादी द्वारा अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्णतः साबित किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा नही होते है।

9. इस प्रकार यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि शुरू से ही रामचन्द्र के नाम दर्ज रही है और इसी के कब्जा काश्त मे रही है। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय मे जमाबंदी व अन्य भू-अभिलेखो मे जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी/रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा चाही गई इस्तदुआ अनुसार जमाबंदी सम्वत 2023 ता 2026, पर्चा लगान, जमाबंदी सम्वत 2037, 2044, 2048 एवं उसके पश्चात के राजस्व अभिलेख के प्रविष्टियों एवं घघघर फल्ड मे अवाप्त भूमि संबंधी तथ्यों एवं मौके की स्थिति के अनुसार वाद का निर्णय वाद मे विरचित तनकी सं. 1 के निष्कर्ष के अनुसार पक्ष मे किया गया है जिसमे किसी प्रकार प्रक्रियात्मक/विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।
10. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रामचन्द्र बनाम प्रेमवती आदि प्रकरण संख्या 282/86 मे पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बड़जलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 14/2002/223 आर टी ए

1. प्रेमवती पत्नि रूपशंकर (फौत)।
- 1/1 राजेशकुमार दत्तक पुत्र स्व. श्रीमति प्रेमवती पत्नि स्व. रूपशंकर पाण्डे जाति ब्राह्मण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
- 1/2 शिशिरकान्त पुत्र केशवदत्त अनन्त जाति ब्राह्मण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
- 1/3 कंचनदेवी पत्नि प्रेमकान्त जाति शर्मा पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवास जेलवेल टंकी के पास बीकानेर।
- 1/4 सज्जन पाण्डे पत्नि टिकननाथ पाण्डे पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवासी पाण्डे जी की गली कलश मार्ग जगदीश चौक उदयपुर।

—अपीलांत

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र गोरधन (फौत)।
- 1/1 बलविन्द्र कौर पत्नि प्यारासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 5 आरके तहसील टिब्बी।
2. केसरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. चरनसिंह पुत्र केसरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रसिंह पुत्र केसरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मंगतसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति मजबीसिख ढाणी ग्राम सुरेवाला के पास तहसील टिब्बी।
6. मिठूसिंह पुत्र अज्ञात जाति मजबीसिख ढाणी ग्राम सुरेवाला के पास तहसील टिब्बी।
7. गुरदीपसिंह उपनाम अमली पुत्र टहलसिंह निवासी ढाणी बिशनसिंह वाली साईफन के पास ग्राम तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी।
8. अजायबसिंह पुत्र गंगासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पों

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 282/86 अनवानी रामचन्द्र बनाम प्रेमवती आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांत सं. 1/1, 1/3 व 1/4, श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता अपीलांत सं. 1/2 एवं श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पों सं. 1/1 की ओर से पेश होकर हुकम हुआ है कि अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रामचन्द्र बनाम प्रेमवती आदि प्रकरण संख्या 282/86 में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 09.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़